Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. DO/5/2017/STGOR/DELAAL//RU-III

Date: 05.07.2018

To,

1. The Chairman,
Railway Board,
Rail Bhawan,
Raisina Road,
New Delhi

2. Chief Secretary,
Govt. of Odisha
Bhubaneswar (Odisha)

3. The Principal Secretary,
Revenue Department,
Govt. of Odisha,
Bhubaneswar (Odisha) 751001

4. The General Manager,
South Eastern Railway,
11, Garden Reach Road,
Kolkata-700043

5. The District Collector,
District-Sundargarh,
Odisha.

Sub: Minutes of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uike, Hon'ble Vice Chairperson, NCST on 03.04.2018 on the issue of Land acquisition for Marshalling Yard, Bonda Munda (South Eastern Railway Project) in Sundergarh District, Odisha.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice -Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 03-04-2018 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri Deme Oram,
Barhabans, PO-Bisra-Birkera,
District-Sundergarh, Odisha - 770036

2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. DO/5/2017/STGOR/DELAAL/RU-III

विषयः श्री डेमे ओराम, सुंदरगढ़ (ओडिशा) द्वारा दक्षिण–पूर्वी रेलवे हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहित किए जाने और उनके पुनर्वास से संबंधित अभ्यावेदन पर आयोग की माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा दिनांक 03.04.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'

बैठक की तिथि : 03.04.2018

सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उपरोक्त विषय पर बैठक हुई। सर्वप्रथम आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदक श्री डेमे ओराम ने आयोग को बताया कि सन 1950 के दशक में राज्य सरकार ने दक्षिण–पूर्व रेलवे के लिए अनुसूचित जनजातियों की जमीन का अधिग्रहण Marshalling yard, Bodamunda Project के लिए किया था और जरूरत से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने की वजह से अभी तक जमीन को उपयोग में नहीं लाया गया है। यद्यपि आज भी इस जमीन पर अनुसूचित जनजाति के मूल निवासी खेती–बाड़ी कर के अपनी गुजर–बसर कर रहे हैं वे अपनी कानूनी हक से वंचित हैं।

जिलाधिकारी, सुंदरगढ द्वारा आयोग को यह बताया गया कि 11.01.2006 को विस्थापितों, ओड़िशा सरकार, आर.एस.पी और दक्षिण–पूर्व रेलवे अथॉरिटी के मध्य यह समझौता हुआ था कि आवश्यकता से अधिक अधिग्रहित और अनुपयोगी जमीन को मूल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वापस करने के मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा और सरकार इस पर फैसला लेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी, सुंदरगढ़ द्वारा यह बताया गया है कि अधिग्रहित जमीन को वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

आवेदक श्री डेमे ओराम ने आयोग को बताया कि दिनांक 25.07.2006 और फिर दिनांक 28.03.2007 को राज्य सरकार के माननीय मंत्री (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) महोदय ने जमीन अधिग्रहण मामले पर हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया कि आवश्यकता से अधिक अधिग्रहित और अनुपयोगी जमीन को वापस करने का कोई

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कानूनी प्रावधान नहीं है, अतः ऐसा करने के लिए कानून में संशोधन करना होगा। इसके बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिनांक 26.11.2008 को एक सर्कुलर (No. AG- 40/2005/ 49777/ CSR & DM) जारी किया जिसमें ओड़िशा के अनुसूचित क्षेत्रों के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया कि अनुसूचित जनजाति के विस्थापितों को कम से कम 5 एकड़ असिंचित और 2 एकड़ सिंचित जमीन दी जाए। इस पर श्री राघव चंद्रा, सचिव ने जिलाधिकारी, सुंदरगढ़ से विस्तार से प्रकाश डालने को कहा तो जिलाधिकारी ने बताया कि यह सर्कुलर पुराना है। आयोग के सचिव ने जिलाधिकारी, सुंदरगढ़ से जानना चाहा कि क्या इस सर्कुलर को निरस्त किया गया है जिसके जवाब में जिलाधिकारी, सुंदरगढ़ ने बताया कि इस सर्कुलर को निरस्त नहीं किया गया है। आयोग के सचिव महोदय ने कहा कि जिलाधिकारी इस संबंध में कोई रास्ता निकालें ताकि अनुसूचित जनजातियों के हितों को और नुकसान नहीं पहुंचे और इस सर्कुलर को अमल में लाया जाए। आयोग की उपाध्यक्ष महोदया ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, अनुसूचित जनजातियो के व्यक्तियों को वहां से न हटाया जाए। अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति जिस जमीन पर बसे हैं उनको प्रशासन द्वारा वहीं पर बसाने को प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान यह तथ्य भी रखा गया कि इस अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में अवैध रूप से बाहरी लोग आकर बस गए हैं। श्री डेमे ओराम ने यह बताया कि अभी भी बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण जोरों से हो रहा है जिस पर प्रशासन तुरंत रोक लगाए। जिलाधिकारी, सुंदरगढ़ ने इस तथ्य को माना और कहा कि अगर आयोग इस पर कोई आदेश जारी करता है या अनुशंसा करता है तो प्रशासन उचित कार्यवाही करेगा। आयोग के सचिव महोदय ने रेलवे अधिकारियों, जिला प्रशासन और विस्थापितों को आपस में मिल कर समस्या का निपटारा करने का अनुरोध किया और सभी ने इस पर सहमति व्यक्त की।

श्री डेमे ओराम ने आयोग को बताया कि वर्ष 2006 में विस्थापितों, ओडिशा सरकार, आर.एस.पी और रेलवे अधिकारियों के मध्य समझौते के हिसाब से स्थानीय (बोंडामुंडा) भू–विस्थापितों को नौकरी देने का प्रावधान रखा गया था जिसमें रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड (आर.आर.बी) की अनुमति की आवश्यकता थी। रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड (आर.आर.बी) ने दिनांक 19.04.2006 को पत्र संख्या R(NG)(ii)/2002/RC-5/4 द्वारा सभी महाप्रबंधकों को विस्थापितों को नौकरी देने को कहा पर यह आदेश अमल में नहीं लाया गया। वर्ष 2010 में फिर रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या E(EN)-11/2010/RC-51 दिनांक 16.07.2010 के द्वारा भू–विस्थापितों को नौकरी देने की

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बात का पालन करने को कहा। इस सब के बावजूद रेलवे बोर्ड के इस ऑर्डर को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, अतः किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाई है। आयोग के समक्ष रेलवे अधिकारियों ने यह बताया कि वर्ष 2010 के सर्कुलर में यह बताया गया है कि नौकरी उनको मिलेगी जो वर्ष 2010 के बाद प्रभावित श्रेणी में आएंगे। इस पर आवेदक श्री डेमे ओराम ने विस्तार से बताया कि ओडिशा उच्च न्यायालय ने केस सं. WP(C) No. 5102 of 2013 (Krushna Chandra Nayak Vs The Railway Board, represented by its Secretary) में रेलवे बोर्ड के वर्ष 2010 के सर्कुलर को पूर्व प्रभावी (restropective) बताया है, जिसका मतलब है कि नौकरी के लिए पुराने भू–विस्थापित भी योग्य होंगे। आयोग ने रेलवे के अधिकारियों से पूछा कि इस परिस्थिति का क्या हल हो सकता है और आयोग क्या मदद/सहयोग कर सकता है। इस पर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इन सब तथ्यों के आधार पर रेलवे बोर्ड निर्णय एवं दिशा–निर्देश देने में सक्षम है। अगर रेलवे बोर्ड इन भू–विस्थापितों को नौकरी देने को सहमति दे तो वे इस संबंध में आगे कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर आयोग ने अपनी सहमति प्रदान की।

बैठक में हुई चर्चा के आधार पर आयोग ने निम्न विषयों पर कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की:–

1. ओडिशा सरकार के दिनांक 26.11.2008 के सर्कुलर (No. AG- 40/2005/ 49777/ CSR & DM) को लागू किया जाए, जो विस्थापितों को कम से कम 5 एकड़ असिंचित और 2 एकड़ सिंचित भूमि दिए जाने का प्रावधान करता है।
2. अधिग्रहित भूमि पर अभी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अपनी गुजर–बसर कर रहे हैं। अतः जब तक विस्थापितों का उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन (Resettlement & Rhabilitation) नहीं होता, इन अनुसूचित जनजातियों को यहां से हटाया न जाए।
3. रेलवे बोर्ड भू–विस्थापितों को नौकरी देने के संबंध में ~~आर~~.आर.बी के दिनांक 19.04.2006 तथा 16.07.2010 के परिपत्रों का पालन कराने के संबंध में कार्रवाई करते हुए आयोग को एक माह के भीतर रिपोर्ट देगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. DO/5/2017/STGOR/DELAAL/RU-III

विषयः श्री डेमे ओराम, सुंदरगढ़ (ओडिशा) द्वारा दक्षिण–पूर्वी रेलवे हेतु अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहित किए जाने और उनके पुनर्वास से संबंधित अभ्यावेदन पर आयोग की माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा दिनांक 03.04.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री राघव चंद्रा, सचिव
3. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, निजी सचिव
5. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

ओडिशा सरकार के अधिकारी

1. विनीत भारद्वाज, कलेक्टर, सुंदरगढ़

दक्षिण–पूर्व रेलवे के अधिकारी

1. श्री नवीन अग्रवाल, चीफ पर्सनल ऑफिसर (ए)
2. श्री पी.एस. विश्वास, एस.पी.ओ (एम एण्ड ई आर)
3. श्री राम प्रताप मीना, डीईएन/वेस्ट/चक्रधरपुर

आवेदक

1. श्री डेमे ओराम
2. श्री मंगरा ओराम